क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी के निहित उद्देश्य

राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ की स्थापना 1962 में हुई, जिसके उपरान्त अकादमी ने अपनी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के कलाकारों एवं समसामयिक कला को प्रोत्साहित एवं विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

अकादमी की गतिविधियों को विकेन्द्रित करने की दृष्टि से तथा प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में निवासरत कलाकारों को अकादमी की गतिविधियों में सम्मिलित करने के उद्देश्य से विगत कुछ वर्षों से कलाकारों/विश्वविद्यालयों/ के माध्यम/सहयोग से क्षेत्रीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कलाकारों की भागीदारी प्रमुख रूप से अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनियों में ही होती थी जिसमें कभी सूचना के अभाव में अथवा कभी संसाधनों के अभाव में कलाकार अकादमी तक नहीं पहुॅच पाते थे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों के आयोजन के उपरान्त कलाकारों में अकादमी की गतिविधियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई एवं वार्षिक गतिविधियों में पूर्व की अपेक्षा कलाकारों की भागीदारी अत्यधिक संख्या में परिलक्षित हुई है।

क्षेत्रीय प्रदर्शनियों के माध्यम से नई प्रतिभाएं उजागर हुई और ऐसे क्षेत्रों के कलाकारों को दिशा प्रदान हुई जहां पहले अकादमी की गतिविधियां नहीं पहुॅच सकी थी। इस दृष्टि से ये प्रदर्शनियां अपने लख्य पूर्ति में सफल रहीं और लाभप्रद भी रहीं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 की गतिविधियों को विस्तार और व्यापकता तो मिली ही साथ ही कलाकारों को भी कला की मुख्य धारा से जुड़ने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ। कुछ उपेक्षित क्षेत्रों के कलाकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ा है। उद्देश्य है कि ऐसी और प्रतिभायें सामने आयें और अपने कार्यों से कला जगत को समृद्ध करें।

यद्यपि अकादमी के संसाधन सीमित हैं इसलिए वर्षानुवर्ष सभी वचनबद्ध गतिविधियों योजनाओं का क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालयों/कला संस्थाओं के माध्यम/सहयोग/नामित संयोजकों के सहयोग से आयोजित होने वाली क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी हेतु मार्गदर्शक नियम निम्न होंगे :–

क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी के मार्गदर्शक नियम

1. प्रदर्शनी में केवल स्तरीय कलाकृतियों को ही प्रदर्शित किया जाए तथा उनके सुनियोजित प्रदर्शन का विशेष ध्यान दिया जाये। प्रविष्टियॉ अकादमी के निर्धारित फार्म पर आवश्यक विवरण एवं जीवन परिचय पोर्ट्रेट आदि के साथ ही स्वीकार की जाएं। संयोजक द्वारा अकादमी के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 2/3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा सकता है जिसके मार्गदर्शन/सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके।

2. प्रदर्शनी हेतु प्राप्त की गयी कलाकृतियां मौलिक तथा कलाकारों द्वारा विगत दो वर्षों में सृजित होनी चाहिए तथा अकादमी की पूर्व प्रदर्शनियों में प्रदर्शित नहीं हुई हों। साथ ही कलाकार केवल एक ही क्षेत्र में भागीदारी कर सकता है। किसी दूसरे क्षेत्र में भाग तभी ले सकता है जब प्रथम क्षेत्र की प्रदर्शनी में दुबारा भाग न लिया हो और भविष्य में किसी दूसरे क्षेत्र में स्थापित हो रहा हो। (क्रमांक ....की किवेन्द्रीकृत सूची एवं चक्रीय वरीयता के अनुसार)

3. क्षेत्र विशेष के कलाकारों को समुचित प्रोत्साहन दिये जाने की दृष्टि से क्षेत्र के सभी कला महाविद्यालयों एवं प्रमुख कला संस्थाओं की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित की जाए।

4. प्रदर्शनी न्यूनतम पॉच दिवसीय रहेगी तथा इस अवधि में कला प्रतियोगिता/संगोष्ठी/ व्याख्यान/प्रदर्शन का आयोजन यथा सम्भव किया जाये। समस्त आयोजनों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। यदि संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है तो उसमें प्रस्तुत किये गये समस्त पत्रों को अकादमी में भेजा जाना आवश्यक है जिससे प्रकाशन पर विचार किया जा सके। (प्रचार–प्रसार में अकादमी के इस आयोजन का उल्लेख संलग्न नमूने के अनुसार होना चाहिए)
5. प्रत्येक क्षेत्र की प्रदर्शनी हेतु चयनित कलाकृतियों में से 3 सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों के कलाकारों को रु. 5,000/– प्रति के पुरस्कार, प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे। पुरस्कारों का चयनअकादमी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा। यह पुरस्कार क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार कहे जायेंगे। चयन दो स्तरीय होगा। प्रथम चरण में छायाचित्रों के माध्यम से कृतियों का चयन एवं द्वितीय चरण में पुरस्कारों का चयन मूल कृतियों के आधार पर किया जायेगा। पुरस्कार राशि का चेक एवं प्रमाणपत्र, स्मृति चिन्ह अकादमी द्वारा चयन एवं निर्णायक समिति की रिपोर्ट के आधार पर संयोजक को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ।

6. क्षेत्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कलाकारों की कृतियों की वापसी आदि का दायित्व क्षेत्रीय संयोजक का होगा।

7. क्षेत्रीय प्रदर्शनी के आयोजन हेतु संयोजक को अकादमी द्वारा रु0 दस हजार की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध यकरायी यजायेगी। जिसका समायोजन प्रदर्शनी समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अकादमी को उपलब्ध कराना होगा। तत्पश्चात् ही उचित मानदेय अकादमी द्वारा स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा ।

8. संयोजक द्वारा क्षेत्रीय प्रदर्शनी 2012–13 की आवश्यक कार्यवाही हेतु 100 पृष्ठों का उपलब्ध कराये जाने वाला लेटर हेड केवल सम्बन्धित आयोजन में ही उपयोग किया जायेगा।

9. प्रदेश को निम्न विवरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है :–

वाराणसी/गोरखपुर : वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर ।

इलाहाबाद/कानपुर/ लखनऊ	:	इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली,, उन्नाव, फर्रूखाबाद, बॉदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर
बरेली	:	शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, जे.पी. नगर, बरेली, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर
अलीगढ़/आगरा	:	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, मथुरा, इटावा, कन्नौज
सहारनपुर/गाजियाबाद	:	गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, देववन्द, सहारनपुर ।

सभी क्षेत्रों में एक साथ प्रदर्शनी न कर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रति वर्ष एक या दो क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी जिसका वरीयता क्रम इस प्रकार होगा –

1. वाराणसी/गोरखपुर 2. इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ, 3. बरेली, 4.अलीगढ़/आगरा, 5.सहारनपुर/गाजियाबाद वरीयताक्रम में जिस क्षेत्र में दो स्थानों का उल्लेख है उनमें प्रथम स्थान नाम में ही पहले आयोजन होगा दूसरे चक्र में द्वितीय स्थान पर आयोजन किया जाए।

10. प्रविष्टि शुल्क की धनराशि का उपयोग कैटलाग आदि के मुद्रण पर अकादमी से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। संयोजकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि कैटलाग आदि के प्रकाशन के लिये प्रायोजकों से भी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जाएं ।

11. इस क्षेत्र से सम्बन्धित कला संस्थाओं/कला महाविद्यालयों आदि के पते अकादमी में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार भेजे जायेंगे, जिनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।

12. प्रदर्शनी तथा अन्य आयोजनों के निमंत्रण पत्र/कैटलाग अकादमी की सामान्य सभा के सदस्यों को अवश्य प्रेषित किये जाएं। इसकी सूची अकादमी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।

13. संयोजक द्वारा आयोजन सम्बन्धी प्रेस कटिंग्स, बैठकों के निर्णय, निमंत्रण पत्र एवं कैटलाग की कुछ प्रतियां अकादमी के अभिलेखों हेतु उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अकादमी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का व्यय विवरण औचित्य सहित कवर नोट के साथ अकादमी को सी.ए. आडिट/जिला सांस्कृतिक केन्द्र, सचिव से कराकर उपलबध कराया जायेगा।

14. प्रदर्शनी के आयोजन के अवसर पर अकादमी के प्रकाशनों को भी विक्रय हेतु रखा जाए। प्रकाशन अकादमी द्वारा संयोजकों को उपलब्ध कराया जायेगा। बिके हुए प्रकाशन की धनराशि व अवशेष प्रकाशन भी प्रदर्शनी समाप्ति के उपरान्त संयोजन के साथ उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

क्षेत्रीय प्रदर्शनी
प्रदर्शनी हेतु कृतियों का चयन

1. क्षेत्रीय प्रदर्शनी कलाकृतियों का चयन अकादमी द्वारा गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग समितियों द्वारा किया जायेगा ।

पुरस्कार हेतु कृतियों का चयन

2. अकादमी द्वारा .....की क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी के लिए गठित चयन एवं निर्णायक समितियों द्वारा प्रथम चरण में प्रदर्शनी हेतु छायाचित्रों के आधार पर कृतियों का तथा द्वितीय चरण में मूल कलाकृतियों के आधार पर पुरस्कारों का चयन किया जायेगा ।

3. पुरस्कार की धनराशि रु0 5000/– (रुपये पांच हजार) प्रति होगी। पुरस्कार राशि के साथ स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा । यह पुरस्कार क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार कहे जायेंगे। चयन एवं निर्णायक समिति पुरस्कारों का चयन श्रेष्ठता के आधार पर करेगी। स्तरीय कृतियां न होने पर सभी पुरस्कार दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी ।

प्रवेश शुल्क

4. क्षेत्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी के लिये प्रवेश शुल्क रु0 100/– होगा। प्रवेश शुल्क नकद जमा होगा ।

5. निर्धारित तिथि दिनांक.....के बाद किसी भी केन्द्र पर प्रविष्टि या शुल्क स्वीकार नहीं होगा ।

6. क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकतम 2 कृतियों के दो–दो (6′X4′, 7′X5′) छायाचित्र चयन हेतु जमा किये जा सकेंगे। छायाचित्रों के पीछे कृति का विवरण स्लिप चिपकायी जाए जिस पर शीर्षक, माध्यम, आकार, निर्मित करने का वर्ष व कलाकार का नाम सुस्पष्ट शब्दो में लिखा हो। कलाकृति वर्ष..... ....के बाद की सृजित होनी चाहिए।

7. मूर्तियां टिकाऊ पदार्थ की होनी चाहिए जैसे–धातु, काष्ठ, पत्थर, प्लास्टिक, मिट्टी या अन्य कमजोर पदार्थ की कृतियां कलाकार की जिम्मेदारी पर स्वीकार होंगी ।

8. जूरी का निर्णय अन्तिम होगा तथा चयन एवं निर्णय के संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य न होगा।

9. किसी भी कृति की प्रतिकृति तैयार करने का अधिकार आयोजक को होगा ।

10. कोई भी प्रदर्शक जिसकी कृतियां प्रदर्शित हैं उसे अपनी कृति को प्रदर्शनी के समाप्त होने के पूर्व हटाने का अधिकार नहीं होगा ।

11. प्रदर्शनी के लिये चित्र का आकार 6′X 6′ फीट तथा मूर्ति का आकार 3X3X2 तक अनुमन्य होगा ।

12. प्रदर्शक को समस्त पत्र व्यवहार अपने क्षेत्र के संयोजक से ही किया जाना चाहिये ।

13. प्रदर्शनी में भाग लेने से ही समझा जायेगा कि प्रदर्शक को सारे नियम व अधिनियम मान्य हैं।

14. क्षेत्रीय केन्द्रों पर कलाकृतियां स्वयं जमा करनी होंगी। कोरियर/डाक/रेल अन्य किसी माध्यम से प्रविष्टियां स्वीकार्य नहीं होगी ।

15. प्रदर्शनी के लिये जमा की गयी कृतियॉ प्रदर्शनी आयोजन तिथि के पश्चात 15 दिनों में वापस प्राप्त करनी होंगी ।

16. अकादमी द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शक अकादमी द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में से केवल एक ही क्षेत्र से भागीदारी कर सकता है। क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन 1. वाराणसी/गोरखपुर, 2. इलाहाबाद/कानपुर, लखनऊ 3. बरेली,4.अलीगढ़/आगरा 5.सहारनपुर/गाजियाबाद में चक्रीय आधार पर होगा। वरीयता क्रम उपर्युक्तानुसार होगा। जैसे वाराणसी में भाग ले रहा कलाकार पुनः वाराणसी/गोरखपुर की प्रदर्शनी में ही भाग ले सकेगा ।

17. क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में सम्मिलित जिले इस प्रकार हैंः–

.....

.....

.....

.....

18. क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए प्रविष्टियां उन सभी कलाकारों के लिये खुली रहेंगी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जन्में किन्तु प्रदेश के बाहर निवासरत कलाकार तभी भाग ले सकेंगे यदि उनका कला के क्षेत्र में उ0प्र0 में कम से कम 5 वर्ष का योगदान हो। अन्य प्रदेश के जो कलाकार इस प्रदेश में निवासरत हैं वे इस प्रदर्शनी में भाग लेने के लिये तथी अर्ह होंगे जब उनकी प्रदेश में निवास अवधि न्यूनतम पांच वर्ष हो गयी हो, जिसके लिये उन्हें अपने विवरण पत्र के साथ निवास का प्रमाण देना होगा। चक्रीय आधार पर केवल एक ही क्षेत्र में भागीदारी की जा सकती है।

19. प्रदर्शनी में भागीदारी के लिये प्राप्त किसी भी प्रविष्टि को चयन समिति द्वारा बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा है।

20. ऐसी किसी भी कृति को कलाकार द्वारा क्षेत्र स्तर पर भागीदारी हेतु नहीं जमा करना चाहिए जो अकादमी द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शनी में प्रदर्शित हो चुकी है (एकल प्रदर्शनी को छोड़कर)

21. किसी भी नियम की अवहेलना पर प्रदर्शनी में भागीदारी के लिये दी गयी प्रविष्टि को निरस्त किया जा सकता है।

22. उपरोक्त नियमों में संशोधन का अधिकार अकादमी को होगा ।

23. सभी संयोजकों द्वारा कृतियों की सुरक्षा का प्रयास किया जायेगा। फिर भी किसी हानि के लिये अकादमी/संयोजक जिम्मेदार न होगा ।